संoसंख्या–12/प0–विविध–8–26/10 - 393 (12)

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विश्वमोहन प्रसाद सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

अधीक्षक,/प्राचार्य,

सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल/

सभी क्षेत्रीय उप निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं/

सभी सिविल सर्जन/

सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी ।

/पटना, दिनांक– 04.05.11

विषयः–राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों एवं सभी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर जिला स्तर तक के अस्पतालों एवं विभागों के अधीन अन्य संस्थानों के लिए चादर, पर्दे, एप्रन आदि का बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के अतिरिक्त राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त/ निबंधित लघु हस्तकरघा उद्योग से संबंधित संस्थान/सहयोग समिति/निगम से कय हेतु मार्गदर्शन ।

प्रसंगः–विभागीय संकल्प–सह–ज्ञापांक 324(12) दिनांक 31.03.11

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासांगिक संकल्प के आलोक में कहना है कि विषयांकित कय की कार्रवाई निम्न मार्गदर्शन के अनुरूप सुनिश्चित की जाय :–

1. वर्णित संकल्प की कंडिका 2 के आलोक में सप्ताह के प्रत्येक दिन के लिए निर्धारित अलग–अलग रंगो की चादरों का व्यवहार किया जाय, तकि प्रतिदिन विशिष्ट रंग के चादरों का उपयोग किया जा सके । इस व्यवस्था के अधीन प्रति बेड रंगीन चादरों की दो सेट यानि कुल–14 (2X7) चदरों की आवश्यकता होगी ।

2. इस तरह की चादर का व्यवहार करने का मकसद है कि प्रत्येक दिन चादर बदली जाय जिससे कि उचित सफाई की व्यवस्था भी हो ।

3. वर्णित संकल्प की कंडिका 7 के अनुरूप बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना के अतिरिक्त राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त/ निबंधित लघु हस्तकरघा उद्योग से संबंधित संस्थान/सहयोग समिति /निगम से वैकल्पिक व्यवस्था के अन्तर्गत निम्न शर्तो के अधीन सभी संबंधित पदाधिकारी चादर/पर्दे/एप्रन आदि का कय करेगें –

राज्य के विभिन्न स्तरों पर यथा चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों/ जिला अस्पतालों/ अनुमंडलीय अस्पतालों/ रेफरल अस्पतालों/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा उक्त कय हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है तो इसमें विलम्ब की संभावना होगी एवं उक्त सामग्री की कय हेतु अलग–अलग दर निर्धारित होगें । अतः सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि राज्य स्तर केन्द्रीकृत विज्ञापन निकालकर राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त /अनुबंधित लघु हस्तकरघा से संबंधित संस्थान/ सहयोग समितियां / निगम से, चादर/पर्दे/एप्रन आदि का कय हेतु दर अनुबंध कर सभी संबंधित को संसूचित किया जायेगा ।

अतः उपरोक्त मागदर्शन का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय ।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय ।

विश्वासभाजन

(विश्वमोहन प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक– 393 (12) /पटना, दिनांक– 04.05.11

प्रतिलिपि–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के वरीय आप्त सचिव/मुख्यालय स्वास्थ्य के सभी पदाधिकारी/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, राज्य प०क० भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव